

UPFD010093452017



न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद।
उपस्थित – विजय कुमार आजाद, "एच०जे०एस०"
पी०एस०टी० सं०-0002767/2017
राज्य बनाम अनिल राठौर।

मु०अ०सं०-626/2017
धारा-363, 366, 376 भा०दं०सं०
धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम
थाना-टूण्डला, जिला फिरोजाबाद।

दिनांक: 24-07-2023

पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया। पुकार पर अभियुक्त अनिल राठौर हाजिर नहीं आया, ना ही उसकी तरफ से अधिवक्ता द्वारा कोई हाजिरी मांफी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त अनिल राठौर के विरुद्ध न्यायालय द्वारा दिनांक 02-12-2022 को आरोप विरचित किया गया तथा पत्रावली में पी०डब्लू०-1 श्रीमती मीना की मुख्य परीक्षा एवं जिरह पूर्ण होने उपरान्त पी०डब्लू०-2 कु० नूरबानो की मुख्य परीक्षा एवं कुछ जिरह अंकित की गयी। पत्रावली पी०डब्लू०-2 से शेष जिरह हेतु नियत थी, इसके पश्चात अभियुक्त अनिल राठौर के दिनांक 31-05-2023 से लगातार अनुपस्थित हो जाने के कारण न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध गैर जमानती अधिपत्र व नोटिस जामिनान एवं धारा-82/83 दं०प्र०सं० की आदेशिकाएं जारी की गयी। अभियुक्त अनिल राठौर की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय द्वारा एस०एस०पी०, फिरोजाबाद को कई बार पत्र लिखे गये हैं, परन्तु अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। मामला माह नवम्बर 2017 से लम्बित है, जो इस न्यायालय में लम्बित 50 प्राचीनतम वादों में से एक है, जिसका पर्यवेक्षण माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा किया जा रहा है। अभियुक्त अनिल राठौर के विरुद्ध न्यायालय द्वारा दिनांक 21-7-2023 को धारा-299 दं०प्र०सं० के अधीन कार्यवाही अग्रसरित की गई। पत्रावली में साक्षी सी०डब्लू०-1 हैड कां० वेदपाल सिंह, पैरोकार की साक्ष्य अन्तर्गत धारा-299 दं०प्र०सं० अंकित हो चुकी है। साक्षी ने, जितेन्द्र कुमार, उ०नि० द्वारा गैर जमानती अधिपत्र व धारा-82/83 दं०प्र०सं० की कार्यवाही अभियुक्त के

विरुद्ध अमल में लाई गयी है, को न्यायालय में आकर प्रमाणित किया है।
ऐसी परिस्थिति में कार्यवाही को विलम्बित किया जाना अभीष्ट नहीं है।

इस प्रकार, चूँकि अवसर दिये जाने के बावजूद अभियुक्त अनिल राठौर आज भी न्यायालय में हाजिर नहीं है और अभियुक्त अनिल राठौर के निकट भविष्य में उपस्थित/दस्तयाब होने की संभावना नहीं है। अतः इस मामले में कार्यवाही समाप्त करते हुये अभियुक्त अनिल राठौर के विरुद्ध स्थायी गैर जमानती अधिपत्र (Permanent Non Bailable Warrant) निर्गत किया जाना उचित प्रतीत हो रहा है।

आदेश

अभियुक्त अनिल राठौर के विरुद्ध स्थायी गैर जमानती अधिपत्र (Permanent Non Bailable Warrant) नियमानुसार निर्गत हो। अभियुक्त अनिल राठौर की फरारी (धारा-82 दं०प्र०सं०) व कुर्की (धारा-83 दं०प्र०सं०) नियमानुसार होने तथा स्थायी गैर जमानती अधिपत्र जारी होने की सूचना थाना टूण्डला के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाये। थानाध्यक्ष टूण्डला को निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्त अनिल राठौर जब भी पकड़ा जाये, उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया जाये और सम्बन्धित पत्रावली अभिलेखागार (फौजदारी) से तलब कर अग्रिम कार्यवाही विधिनुसार अमल में लायी जाये।

प्रधान अभिलेखागार (फौजदारी) को आदेशित किया जाता है कि पत्रावली को नष्ट (Weed out) नहीं करेंगे।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार (फौजदारी) हो।

दिनांक: 24-07-2023

(विजय कुमार आजाद)
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।

UPFD010015212015



न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद।
उपस्थित – विजय कुमार आजाद, "एच०जे०एस०"
पी०एस०टी० सं०-0000471/2015
राज्य बनाम मुकीम खाँ।

मु०अ०सं०-292/2013
धारा-354, 323, 506 भा०दं०सं०
धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम
थाना-पचोखरा, जिला फिरोजाबाद।

दिनांक: 26-05-2023

पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया। पुकार पर अभियुक्त मुकीम खाँ हाजिर नहीं आया, ना ही उसकी तरफ से अधिवक्ता द्वारा कोई हाजिरी मांफी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त मुकीम खाँ के विरुद्ध न्यायालय द्वारा दिनांक 07-12-2016 को आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त मुकीम खाँ के लगातार अनुपस्थित हो जाने के कारण न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध गैर जमानती अधिपत्र व नोटिस जामिनान एवं धारा -82/83 दं०प्र०सं० की आदेशिकाएं जारी की गयी। अभियुक्त मुकीम खाँ की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय द्वारा एस०एस०पी० फिरोजाबाद को कई बार पत्र लिखे गये हैं, परन्तु अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। मामला माह वर्ष 2015 से लम्बित है, जो इस न्यायालय में लम्बित 50 प्राचीनतम वादों में से एक है, जिसका पर्यवेक्षण माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा किया जा रहा है। अभियुक्त मुकीम खाँ के विरुद्ध दिनांक 24-05-2023 को धारा-299 दं०प्र०सं० के अधीन कार्यवाही अग्रसरित की गई। पत्रावली में साक्षी सी०डब्लू०-1 हैड कां० लक्ष्मण सिंह, पैरोकार की साक्ष्य अन्तर्गत धारा-299 दं०प्र०सं० अंकित हो चुकी है। साक्षी ने, दलवीर सिंह, उ०नि० द्वारा गैर जमानती अधिपत्र व धारा-82/83 दं०प्र०सं० की कार्यवाही अभियुक्त के विरुद्ध अमल में लाई गयी है, को न्यायालय में आकर प्रमाणित किया है। ऐसी परिस्थिति में कार्यवाही को विलम्बित किया जाना अभीष्ट नहीं है।

इस प्रकार, चूँकि अवसर दिये जाने के बावजूद अभियुक्त मुकीम खाँ आज भी न्यायालय में हाजिर नहीं है और अभियुक्त मुकीम खाँ के निकट भविष्य में उपस्थित/दस्तयाब होने की संभावना नहीं है। अतः इस

मामले में कार्यवाही समाप्त करते हुये अभियुक्त मुकीम खां के विरुद्ध स्थायी गैर जमानती अधिपत्र (Permanent Non Bailable Warrant) निर्गत किया जाना उचित प्रतीत हो रहा है।

आदेश

अभियुक्त मुकीम खां के विरुद्ध स्थायी गैर जमानती अधिपत्र (Permanent Non Bailable Warrant) नियमानुसार निर्गत हो। अभियुक्त मुकीम खां की फरारी (धारा-82 दं०प्र०सं०) व कुर्की (धारा-83 दं०प्र०सं०) नियमानुसार होने तथा स्थायी गैर जमानती अधिपत्र जारी होने की सूचना थाना पचोखरा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाये। थानाध्यक्ष पचोखरा को निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्त मुकीम खां जब भी पकड़ा जाये, उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया जाये और सम्बन्धित पत्रावली अभिलेखागार (फौजदारी) से तलब कर अग्रिम कार्यवाही विधिनुसार अमल में लायी जाये।

प्रधान अभिलेखागार (फौजदारी) को आदेशित किया जाता है कि पत्रावली को नष्ट (Weed out) नहीं करेंगे।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार (फौजदारी) हो।

दिनांक: 26-05-2023

(विजय कुमार आजाद)
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।

UPFD010063222017



न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद।
उपस्थित – विजय कुमार आजाद, "एच०जे०एस०"
पी०एस०टी० सं०-0001695/2017
राज्य बनाम पवन

मु०अ०सं०-488/2017
धारा-363,366,376 भा०दं०सं०
धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम
थाना-टूण्डला, जिला फिरोजाबाद।

दिनांक: 26-05-2023

पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया। पुकार पर अभियुक्त पवन हाजिर नहीं आया, ना ही उसकी तरफ से अधिवक्ता द्वारा कोई हाजिरी मांफी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त पवन के विरुद्ध न्यायालय द्वारा दिनांक 31-08-2017 को आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त पवन के दिनांक 09-03-2021 से लगातार अनुपस्थित हो जाने के कारण न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध गैर जमानती अधिपत्र व नोटिस जामिनान एवं धारा-82/83 दं०प्र०सं० की आदेशिकाएं जारी की गयी। अभियुक्त पवन की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय द्वारा एस०एस०पी० फिरोजाबाद को कई बार पत्र लिखे गये हैं, परन्तु अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। मामला माह अगस्त 2017 से लम्बित है, जो इस न्यायालय में लम्बित 50 प्राचीनतम वादों में से एक है, जिसका पर्यवेक्षण माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा किया जा रहा है। अभियुक्त पवन के विरुद्ध दिनांक 17-05-2023 को धारा-299 दं०प्र०सं० के अधीन कार्यवाही अग्रसरित की गई। पत्रावली में साक्षी सी०डब्लू०-1 कां० सुमित तोमर, पैरोकार की साक्ष्य अन्तर्गत धारा-299 दं०प्र०सं० अंकित हो चुकी है। साक्षी ने, सन्तोष गौतम, उ०नि० द्वारा गैर जमानती अधिपत्र व धारा-82/83 दं०प्र०सं० की कार्यवाही अभियुक्त के विरुद्ध अमल में लाई गयी है, को न्यायालय में आकर प्रमाणित किया है। ऐसी परिस्थिति में कार्यवाही को विलम्बित किया जाना अभीष्ट नहीं है।

इस प्रकार, चूँकि अवसर दिये जाने के बावजूद अभियुक्त पवन आज भी न्यायालय में हाजिर नहीं है और अभियुक्त पवन के निकट

भविष्य में उपस्थित/दस्तयाब होने की संभावना नहीं है। अतः इस मामले में कार्यवाही समाप्त करते हुये अभियुक्त पवन के विरुद्ध स्थायी गैर जमानती अधिपत्र (Permanent Non Bailable Warrant) निर्गत किया जाना उचित प्रतीत हो रहा है।

आदेश

अभियुक्त पवन के विरुद्ध स्थायी गैर जमानती अधिपत्र (Permanent Non Bailable Warrant) नियमानुसार निर्गत हो। अभियुक्त मिथुन की फरारी (धारा-82 दं०प्र०सं०) व कुर्की (धारा-83 दं०प्र०सं०) नियमानुसार होने तथा स्थायी गैर जमानती अधिपत्र जारी होने की सूचना थाना टूण्डला के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाये। थानाध्यक्ष टूण्डला को निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्त पवन जब भी पकड़ा जाये, उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया जाये और सम्बन्धित पत्रावली अभिलेखागार (फौजदारी) से तलब कर अग्रिम कार्यवाही विधिनुसार अमल में लायी जाये।

प्रधान अभिलेखागार (फौजदारी) को आदेशित किया जाता है कि पत्रावली को नष्ट (Weed out) नहीं करेंगे।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार (फौजदारी) हो।

दिनांक: 26-05-2023

(विजय कुमार आजाद)
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।

UPFD010100152019



न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद।
उपस्थित – विजय कुमार आजाद, "एच०जे०एस०"
पी०एस०टी० सं०-0003195/2019
राज्य बनाम कालू उर्फ यशवीर आदि।

मु०अ०सं०-327/2018
धारा-504, 506 भा०दं०सं०
थाना-टूण्डला, जिला फिरोजाबाद।

दिनांक: 28-11-2023

पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया। पुकार पर अभियुक्त सूरज उर्फ सुधीर हाजिर नहीं आया, ना ही उसकी तरफ से अधिवक्ता द्वारा कोई हाजिरी मांफी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण, अभियुक्तगण कालू उर्फ यशवीर एवं सूरज उर्फ सुधीर के विरुद्ध वर्ष 2019 से इस न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें अभियुक्तगण उपरोक्त को न्यायालय द्वारा दिनांक 29-01-2021 को जमानत प्रदान की गयी। उसके उपरान्त अभियुक्तगण व्यक्तिगत रूप से एवं अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय उपस्थित आते रहे। लेकिन दिनांक 01-10-2021 से अभियुक्तगण के अनुपस्थित हो जाने के कारण न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध गैर जमानती अधिपत्र व नोटिस जामिनान की आदेशिकाएं जारी की गयीं, जिन पर अभियुक्त कालू उर्फ यशवीर की मृत्यु दिनांक 10-08-2022 को हो जाने की आख्या थाने से प्राप्त हुई। उक्त आख्या के आधार पर न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 09-01-2023 से अभियुक्त कालू उर्फ यशवीर के विरुद्ध प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही उपशमित की गयी तथा अभियुक्त सूरज उर्फ सुधीर के अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरुद्ध गैर जमानती अधिपत्र, नोटिस जामिनान एवं धारा-82/83 दं०प्र०सं० की आदेशिकाएं जारी की गयीं तथा अभियुक्त सूरज उर्फ सुधीर की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय द्वारा एस०एस०पी०, फिरोजाबाद को कई बार पत्र लिखे गये हैं, परन्तु अभियुक्त सूरज उर्फ सुधीर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। अतः अभियुक्त सूरज उर्फ सुधीर के विरुद्ध दिनांक 22-11-2023 को धारा-299 दं०प्र०सं० के अधीन कार्यवाही अग्रसरित की गई।

मामला वर्ष, 2019 से लम्बित है। पत्रावली में साक्षी सी० डब्लू०-1 हैड कां० हरेन्द्र कुमार, पैरोकार की साक्ष्य अन्तर्गत धारा-299 दं०प्र०सं० अंकित हो चुकी है। साक्षी ने, अशोक कुमार, उ०नि० द्वारा गैर जमानती अधिपत्र व धारा-82/83 दं०प्र०सं० की कार्यवाही अभियुक्त सूरज उर्फ सुधीर के विरुद्ध अमल में लाई गयी है, को न्यायालय में आकर प्रमाणित किया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत मामले की कार्यवाही को विलम्बित किया जाना अभीष्ट नहीं है।

इस प्रकार, चूँकि अवसर दिये जाने के बावजूद अभियुक्त सूरज उर्फ सुधीर आज भी न्यायालय में हाजिर नहीं हैं और अभियुक्त सूरज उर्फ सुधीर के निकट भविष्य में उपस्थित/दस्तयाब होने की संभावना नहीं है। अतः इस मामले में कार्यवाही समाप्त करते हुये अभियुक्त सूरज उर्फ सुधीर के विरुद्ध स्थायी गैर जमानती अधिपत्र (Permanent Non Bailable Warrant) निर्गत किया जाना उचित प्रतीत हो रहा है।

आदेश

अभियुक्त सूरज उर्फ सुधीर के विरुद्ध स्थायी गैर जमानती अधिपत्र (Permanent Non Bailable Warrant) नियमानुसार निर्गत हो। अभियुक्त सूरज उर्फ सुधीर की फरारी (धारा-82 दं०प्र०सं०) व कुर्की (धारा-83 दं०प्र०सं०) नियमानुसार होने तथा स्थायी गैर जमानती अधिपत्र जारी होने की सूचना थाना टूण्डला के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाये। थानाध्यक्ष टूण्डला को निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्त सूरज उर्फ सुधीर जब भी पकड़ा जाये, उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया जाये और सम्बन्धित पत्रावली अभिलेखागार (फौजदारी) से तलब कर अग्रिम कार्यवाही विधिनुसार अमल में लायी जाये।

प्रधान अभिलेखागार (फौजदारी) को आदेशित किया जाता है कि पत्रावली को नष्ट (Weed out) नहीं करेंगे।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार (फौजदारी) हो।

दिनांक: 28-11-2023

(विजय कुमार आजाद)
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।